

(रवणपीठ - रीवा)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, म0प्र0

ग्वालियर, १५/४/२०१५

ज्योति गौतम पुत्री श्री रामानंद गौतम, उम्र 19 वर्ष, पेशा—विद्याध्ययन,

निवासी—नईबस्ती चुनहा, तहसील—नागौद, जिला—सतना, म0प्र0—अपीलार्थी

(राजस्व क्रमांक) सता

बनाम

- 1.— श्रीमती रानी गर्ग पत्नी स्व0श्री बृजेन्द्र कुमार गर्ग,
- 2.— आशुतोष कुमार गर्ग तनय स्व0श्री बृजेन्द्र कुमार गर्ग,
- 3.— अविनेश गर्ग तनय स्व0श्री बृजेन्द्र कुमार गर्ग, नाबालिंग सरपस्त मां श्रीमती रानी गर्ग पत्नी स्व0श्री बृजेन्द्र कुमार गर्ग सभी निवासी—
जवाहरगढ़नर सतना, जिला सतना, म0प्र0
- 4.— शैलेन्द्र पाण्डेय तनय श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निवासी—धौवारी सतना,

जिला सतना, म0प्र0

प्रत्यर्थीगणक्रमांक 5432
रजिस्टर्ड प्रकरण नं.
दिनांक 26.5.15

राजस्व वालियर

रिवीजन अंतर्गत धारा—50 म0प्र0भू0रा0संहिता—1959

विरुद्ध आदेश दिनांक—06.04.2015 को एस.डी.ओ.

रघुराजनगर राजस्व प्रकरण क्र0—67 / अपील / 13—14

एवं आदेश दिनांक—12.06.2014 तहसीलदार

रघुराजनगर राजस्व प्रकरण क्रमांक—117ए6 / 13—14मान्यवर,पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका निम्नलिखित पुनरीक्षणप्रस्तुत करती है :-

- 1.— यह कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रश्नाधीन अपील में पहले अपील को सक्षम मानते हुए गृहण कर लिया था, फिर अचानक इन्होने ऐसा यूटर्न लिया जिसका कोई आधार नहीं था। तहसीलदार

—2—

Jyoti Gautam

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

क्रमांक निग02142-II / 2015

जिला—सतना

ज्योति गौतम/रानी गर्ग

(1)

(2)

(3)

24.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र अवस्थि उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 67/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।


 (बी.एम.शास्त्री),
 सदस्य

